सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आश्विन 17, गुरूवार, *शाके* 1947- अक्टूबर 09, 2025
Asvina 17, Thursday, Saka 1947- October 09, 2025

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जोधपुर, विकास प्राधिकरण जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 11, 2025

संख्या जविप्रा/उपा./जोन-पीआरएन(दक्षिण-द्वितीय)/2025/डी-987 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित हसनपुरा-ए गृह निर्माण सहकारी समिति लि- की योजना महावीर नगर के (पट्टे का भू-उपयोग आवासीय) भूखण्ड संख्या 30 एण्ड 31 क्षेत्रफल 913.38 वर्गगज (763.69 वर्गमीटर) भूमि जिसका भू.उपयोग मास्टर विकास योजना-2011 के अनुसार आवासीय तथा मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग पीआरएन स्पेशल एरिया दर्शित है। जोनल विकास योजना-10 के अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू.उपयोग सेक्टर व्यावसायिक (15 मीटर गहराई तक) तत्पश्चात आवासीय दर्शित है, का आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने बाबत अधिसूचना दिनांक 02.09.2024 द्वारा आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये गये थे, जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्ति/सुझाव का नियमानुसार निस्तारण किया गया। प्रकरण जविप्रा स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.01.2025 में रखा जाकर भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने सर्शत दिनांक 09.05.2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित द्वारा हसनपुरा ए गृह निर्माण सहकारी समिति लि- की योजना महावीर नगर के (पट्टे का भू-उपयोग आवासीय) भूखण्ड संख्या 30 एण्ड 31 क्षेत्रफल 913-38 व.ग. (763-69 व.मी.) जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2011 के अनुसार आवासीय तथा मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग पीआरएन स्पेशल एरिया दर्शित है। जोनल विकास योजना-10 के अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग सेक्टर व्यावसायिक (15 मीटर गहराई तक) तत्पश्चात आवासीय दर्शित है, का भू-उपयोग आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग हेतु सशर्त दिनांक 09.05.2025 जारी किया जाता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 11.09.2025 को जारी की गई है।

निशान्त जैन,
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।